



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052026-272907
CG-DL-E-27052026-272907

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948

No. 372]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISTHA 6, 1948

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2026

सा.का.नि. 413(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 10 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (गक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों) नियम, 2025 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों) नियम, 2025 में, नियम 25 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“25क. अनुशासन, अपीलीय, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन प्राधिकरण:- नियम 25 में विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण में विभिन्न श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित अनुशासन, अपीलीय, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :-

क्रम सं.	पद	अनुशासन प्राधिकरण	अपीलीय प्राधिकरण	पुनरीक्षण प्राधिकरण	पुनर्विलोकन प्राधिकरण
1	अनुभाग अधिकारी के स्तर तथा उसके ऊपर के सभी पद	अध्यक्ष, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	संचार राज्य मंत्री	संचार राज्य मंत्री	संचार मंत्री
2	सहायक के स्तर तथा उसके नीचे के सभी पद	सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	अध्यक्ष, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	संचार राज्य मंत्री	संचार राज्य मंत्री” ।

[फा. सं. 10-02/2022-पुनर्गठन]

देवेन्द्र कुमार राँय, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों) नियम, 2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड(i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 909 (अ), तारीख 18 दिसंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित हुए थे ।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2026

G.S.R. 413(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ca) of sub-section (2) of section 35 read with sub-section (2) of section 10 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Telecom Regulatory Authority of India (Recruitment and Conditions of Service of Officers and Other Employees) Rules, 2025, namely:—

1. (1) These rules may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Recruitment and Conditions of Service of Officers and Other Employees) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Telecom Regulatory Authority of India (Recruitment and Conditions of Service of Officers and Other Employees) Rules, 2025, after rule 25, the following rule shall be inserted, namely:—

“25A. **Disciplinary, Appellate, Revisioning and Reviewing Authorities.**—The Disciplinary, Appellate, Revisioning and Reviewing Authorities, in respect of various grades in the Authority for the purposes of proceedings specified in rule 25, shall be the following, namely:—

Sl. No.	Posts	Disciplinary Authority	Appellate Authority	Revisioning Authority	Reviewing Authority
1.	All posts of the level of Section	Chairperson, Telecom	Minister of State for Communications	Minister of State for Communications	Minister of Communications

	Officer and above	Regulatory Authority of India			
2.	All posts of the level of Assistant and below	Secretary, Telecom Regulatory Authority of India	Chairperson, Telecom Regulatory Authority of India	Minister of State for Communications	Minister of State for Communications”.

[F. No. 10-02/2022-Restg.]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.

Note: The Telecom Regulatory Authority of India (Recruitment and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2025 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), *vide* notification number G.S.R. 909(E), dated the 18th December, 2025.